कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 09.08.2026

🔷 थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा गो-तस्करी के अभियोग में वांछित व 25000/- रुपये का इनामियां 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के निर्देशन में थानाध्यक्ष बलुआ अरूण प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बलुआ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 09.08.2026 को मुखबिरी सूचना के आधार पर लक्ष्मणगढ चौराहा के पास चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 62/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 से सम्बन्धित वांछित व 25000/- रूपये के इनामियां अभियुक्त राहुल यादव पुत्र श्याम बिहारी यादव निवासी ग्राम नादी थाना बलुआ जनपद चन्दौली को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.03.2026 को मैं व मेरे साथी सादिक अंसारी पुत्र सेराज अंसारी नि0ग्राम निधौरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली व सार्जन शाह पुत्र अनवर शाह नि0ग्राम निधौरा थाना बलुआ जनपद चन्दौली जो पिकअप वाहन संख्या UP67BT4169 से गोवंश लादकर वाहन को मैं स्वयं चलाकर वध हेतु बिहार ले जा रहे थे कि थाना बलुआ की पुलिस द्वारा सरौली के पास मेरे वाहन को रोककर मेरे दोनों साथियों को पकड़ लिया गया मैं गेहूँ के खेत में से भाग गया था। मेरे विरुद्ध थाना बलुआ में मु0अ0सं0- 62/26 गोवध अधिनियम का पंजीकृत है तथा जिसमें मैं 25000/ रूपये का इनामिया भी हूँ। मैं मुम्बई चला गया था कल आया हूँ और अपने वकील से मिलने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा पकड़ लिया गया।

अपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 62/2026 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.मु0अ0सं0 62/2025 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध नि0 अधि0 थाना बलुआ जनपद चन्दौली

पुलिस टीम-

1.थानाध्यक्ष अरूण प्रताप सिंह थाना बलुआ जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अमित सिंह चौ0प्र0 मारूफपुर थाना बलुआ जनपद चन्दौली

3.उ0नि0 धर्मदेव यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

4.हे0का0 संतोष यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

5.का0 रमेश यादव थाना बलुआ जनपद चन्दौली

6.रि0का0 संदीप कुमार गौतम थाना बलुआ जनपद चन्दौली

7.रि0का0 राहुल चक्रवर्ती थाना बलुआ जनपद चन्दौली